Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 (Print), General Impact Factor : 2.0546, Volume 03, No. 04, Oct.-Dec., 2017, pp. 405-408

jktLFkku esa vYidkyhu ,oa nh?kZdkyhu lgdkjh _.k O;oLFkk dk fodkl esa leL;k,¡

Mk- lat; dqekj lSuh*

सार

सहकारिता आर्थिक संगठन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती हैं। इसका मूल सिद्धान्त 'एक सबके लिये तथा सब एक के लिये' होता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सहकारी संगठन बनाकर अपने आर्थित हितों को आगे बढ़ा सकते है। इसमें कोई सन्देह नही कि यदि सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त कार्यकुशलता से संचालित किया जाये तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास अधिक तेजी से हो सकेगा, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊँचा होगा। हमें यही भी स्मरण रखना होगा कि सहकारिता, लोकतंत्र व विकेन्द्रीकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। सहकारिता के विकास से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व पंचायती राज की स्थापना को बल मिल सकता है। इसलिए राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के विकास के साथ साथ सहकारी क्षेत्र के विकास को भी पूरा महत्व दिया गया है। यह शोध पत्र राजस्थान में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी ऋण व्यवस्था के विकास एवं विकास में आने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन पर आधारित है।

ifjp;

हमारे देश में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का उद्गम 1904 में लगभग हुआ जबकि सहकारिता के सिद्धान्तों के आदर्शो पर नवीन प्रकार के संस्थान स्थापित करने के प्रयास प्रारम्भ हुए। यह प्रयास इस भावना से प्रेरित थे कि भारत जैसे विशाल देश में ही निहित है। सहकारी बैंकों की स्थापना से पूर्व भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं संबंद्ध कार्यों हेतु साख सुविधाओं का अत्यन्त अभाव अनुभव किया गया। जब 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन का युग प्रारम्भ हुआ तो सहकारी बैंक, इसकी सफलता हेतु प्रमुख उपकरण के रूप में उभरें। वर्तमान समय में कृषि एवं संबंद्ध कार्यों हेतु वित्त प्रदान वाली संस्थानों में सहकारी बैंकों का विशिष्ट स्थान है।

भारत में सहकारी साख संरचना के दो पक्ष है। एक पक्ष जिसमें अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाला एक त्रि–स्तरीय ढ़ांचा है। जिसमें राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केन्द्रिय सहकारी बैंक तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्य करती है। दूसरा पक्ष दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला है, जिसके अन्तर्गत राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा साख प्रदान की जाती है। पिरामिड के समक्ष उक्त संघीय सहकारी ढ़ांचे का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक समितियों को मजबूत बनाने के साथ प्रत्येक संस्था एक दूसरे से मुक्त करना है लेकिन प्रत्येक संस्था एक दूसरी पर निर्भर कर सकती है, श्रृंखला की सशक्तता प्रत्येक कड़ी की मजबूती पर निर्भर है, अतः प्रत्येक संस्था दूसरे स्तर की संस्था को बल प्रदान करती है। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंको तथा दूसरें राज्य स्तरीय बैंकों के लिए सन्तुलनकारी केन्द्रों तथा वित्त पोषण बैंकों का कार्य करते है। इनकी मुद्रा

* सहायक प्रोफेसर, व्यवसायिक प्रषासन विभाग, सेठ जी. बी. पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़, राजस्थान।

बाजार तथा रिजर्व बैंक व नाबार्ड जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में सीधी पहुंच है। तथाति ये बैंक सहकारिताओं के साथ अपने कारोबार में अनुभागीय दृष्टिकोण ही अपनाते है। कृषि साख समितियों के अतिरिक्त इन्हें अभी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों के कार्यपद्धति में पुनः उन्मुख करना शेष है।

jktLFkku esa lgdkfjrk dk fodkl ij ,d nf"V

राजस्थान में सहकारिता आन्दालन का विकास विशेषतया एकीकृत राजस्थान के निर्माण के बाद ही सम्भव हो पाया है। वैसे इसका प्रारम्भ केन्द्रीय प्रशासित प्रदेश अजमेर–मेरवाड़ा, आदि में 1904 से हो गया था। पूर्व रियासतों में भरतपुर में 1915 में, कोटा में 1916 में, बीकानेर में 1920 में, अलवर में 1935 में, जोधपुर व जयपुर में 1943 में तथा तत्कालीन मत्स्य प्रदेश में 1948 में सहकारिता का प्रारम्भ हुआ था। राज्य के अन्य भागों में आजादी से पहले सहकारिता आन्दोलन की शुरूआत ही नही हो पायी थी।

सन् 1953 में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसे 1957 में अजमेर, सुनेल व आबू में लागू किया गया । 1956 में पृथक् से भूमि बंधक बैंक अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में राज्य में जो सहकारी कानून लागू है वह 2 अक्टुबर, 1965 में अस्तित्व में आया था।

jktLFkku esa lgdkfjrk dk fodkl dh xfr

Ok'kZ	Lkgdkjh lfefr;ksa dh la[;k	lnL; la[;k ¼djksM+ :½	"ks;j iwath ¼djksM+ :-½	dk;Z'khy iwath ¼djksM+ :-½
1960–61	18309	9.68	6.2	32.6
1965–66	22580	14.92	11.4	57.0
1974–75	19257	23.46	33.1	230.4
1989–90	19873	70.26	267.0	2732.1
2001–02	22348	90.75	897.4	12512.0
2005–06	26048	96.58	1243.0	18285.7
2009–10	29326	119.0	1597.0	27580.0

स्रोतः प्रगति प्रतिवेदन 2010–11, सहकारिता विभाग, राजस्थान, विभिन्न तालिकाएँ एवं पूर्व प्रगति प्रतिवेदन।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 2009–10 मं सहकारी समितियों की संख्या 29326 थी, तथा इनकी सदस्य संख्या लगभग 119.0 लाख थी। इनकी कार्यशील पूँजी लगभग 27580 करोड़ रू. थी।

Lkgdkjh cSadks dh laxBu lajpuk

सहकारी बैंके इनके गहन शाखा संजाल के कारण स्थानीय लोंगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। ये बैंके निक्षेपों का अंतरण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं के विस्तार से भी महत्वपूर्ण है। सरकारी बैंको के विभिन्न संघटक, समाज के विभिन्न वर्गो की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। सहकारिता के आधार पर स्थापित ये बैंके देश के विभिन्न वर्गो में बैंकिंग व्यवसाय निष्पादित कर रही हैं, किन्तु इन बैंकों को समय समय पर अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा हैं। ऋणों की वसूली न हो पाना, शाखा विस्तार अत्यधिक होना, कर्मचारियों का कुशल एवं प्रशिक्षित न होना तथा वित्तीय संसाधनों का अभाव इन बैंको की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ है। सहकारी बैंको के निरीक्षण के लिए एवं नियंत्रण के लिए समय समय पर सरकार द्वारा कई संस्थाओं एवं समितियों की नियुक्ति की गई है। सभी संस्थाओं की निरीक्षण संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी इन बैंकों के लिए जटिलता को बढ़ावा देता है। भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकें, सहकारी बैंकों के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

भारत में मुख्यतः दो प्रकार की सहकारी साख संस्थाओं की स्थापना की गई हैः

- ग्रामीण सहकारी साख संस्थाएँ
- नागरिक सहकारी साख संस्थाएँ

ग्रामीण सहकारी साख संस्थाओं को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता हैः

- अल्पकालीन साख संस्थाए
- दीर्घकालीन साख संस्थाए

अल्पकालीन साख संस्थाओं में राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख संस्थाएँ तथा दीर्घकालीन संस्थाओं में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकें तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों को सम्मिलित किया जाता है। सहकारी बैंकों के वर्णित विभिन्न संघटक अंगों का प्रदर्शन निम्न तालिका की सहायता से और अधिक स्पष्ट रूप से किया जा सकता है।

Hkkjr esa lgdkjh lk[k laLFkkvksa dh laxBu lajpuk

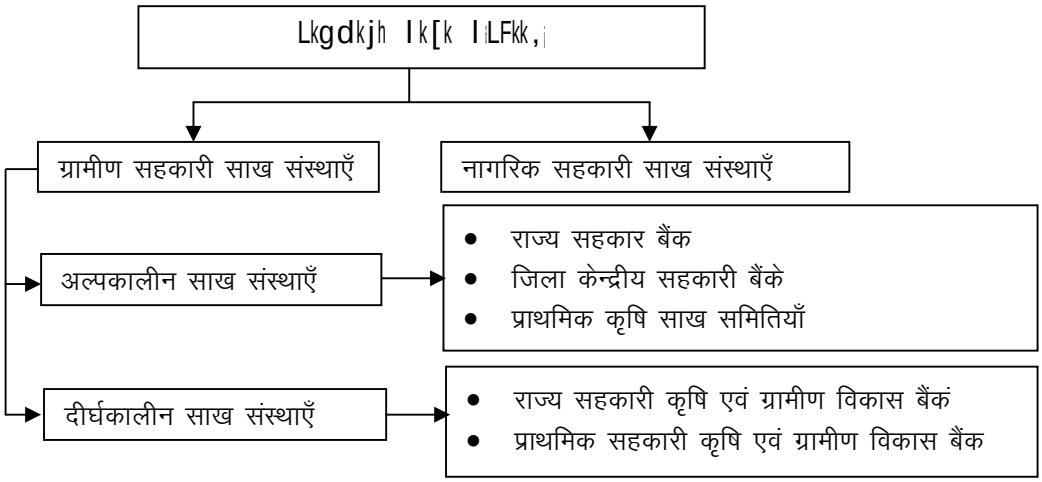

v/;;u dk mís';

शोध का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी संस्थाओं में एकीकरण की सम्भावनायें खोजना है। राजस्थान में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी संस्थाओं में ऋण व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा।

- सहकारी साख के विकास की प्रमुख समस्याओं का पता लगाना एवं उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना।
- अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी साख व्यवस्था के स्वरूप का अवलोकन करना ।
- अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी संस्थाओं में क्रमशः त्रि–स्तरीय एवं द्वि–स्तरीय ढ़ांचे के औचित्य का अवलोकन करना।
- अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी साख संस्थाओं की आवश्यकता एवं महत्व का अवलोकन करना।

lUnHkZ lkfgR; dh leh{kk

इस शोध पत्र में राजस्थान में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सहकारी ऋण व्यवस्था की समस्याऐं एवं सम्भावनाओं को जानने का प्रयास किया गया है। सन् 1966 में बी. एस. माथूर ने "सहकारिता संस्थागत साख", सन् 1966 में विनोद जुत्शी ने "राजस्थान में सहकारिता के विकास" , सन् 1987–88 में " राजस्थान, राज्य सहकारी संघ द्वारा राजस्थान में दीर्घकालीन साख व्यवस्था", एम. एल. परिहार दीर्घकालीन सहकारिता साख व्यवस्था व प्रकाश चन्द्र व्यास ने सहकार कुकार के अन्तर्गत सहकारी ऋण व्यवस्था से संबंधीत अध्ययन किया है।

'kks/k dh fof/k

यह शोध पत्र विश्लेषणत्मक अध्ययन से संबंधित है। यह द्वितीय समंकों पर आधारित है। इसमें राजस्थान के सहकारी बैंकों की अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था की समस्याओं एवं सम्भावनाओं के विश्लेषण से संबंधित है।

leL;k,a

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग का कार्य चुनौतिपूर्ण है। इन बैंकों के सामने उत्पन्न हो रही प्रमुख समस्यायें इस प्रकार है, जिनका समय रहते समाधान करना आवश्यक होगा अन्यथा इन बैंको के अस्तित्व के लिए खतरा उत्नन्न हो सकता हैं।

- पूँजी कोषों की समूचित व्यवस्था की समस्या।
- ऋणों की सामयिक वसूली की समस्या।
- परिचालन लागत की अधिकता की समस्या।
- लाभप्रदता की समस्या।
- प्रबंध व संचालन संबंधी समस्या।
- संगठन में लोचशीलता का अभाव।
- वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा।
- अल्पकालीन व दीर्घकालीन सहकारी संस्थाओं में ऋण व्यवस्था में भिन्नता ।
- संसाधन जुटाने की समस्या व उधारों पर निर्भरता।

fu"d"k

सहकारी बैंकिंग अतिदेय ऋण तथा निम्न परिचालनगत कार्यकुशलता से ग्रस्त है। इसके विपरित वाणिज्यिक बैंकिग ने इससे प्रतिस्पर्द्धा करके साख वितरण एवं वसूली में कहीं बेहतर निष्पादन किया है। सहकारिताओं के सम्मुच संगठनात्मक कुशलता के अभाव और प्रबंधकीय अपर्याप्तता की समस्या के कारण बड़ी संख्या में प्राथमिक समितियां काम नही कर पा रही है। हमें सहकारी बैंकों की संगठन संरचना पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी वो पूर्ण करने में समर्थ है या नही, अतः इसे विकसित करने के लिए वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक युग में सर्वागीण विकास की आवश्यकत हुई। ऐसे में अल्पकालीन सहकारी बैंकों मे ऋण व्यवस्था का अलग से होना तथा दीर्घकालीन सहकारी बैंकों में ऋण व्यवस्था के लिए अलग संस्थायें जो कार्य कर रही है इनके एकीकरण की ओर ध्यान देना होगा। सहकारी बैंको को अगर वाणिज्य बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करनी हैं तो अल्पकालीन सहकारी संस्थायें व दीर्घकालीन सहकारी संस्थायें अलग अलग होकर ऋण वितरण करने के बजाए एक साथ ही ऋण व्यवस्था की जाये। अतः वर्तमान अध्ययन में सहकारी बैंकों की ऋण व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुये इनकी एकीकरण की सम्भावनायें समझी गयी ताकि ये वाणिज्य बैंकों से एक होकर प्रतिस्पर्द्धा कर सके। इस दृष्टि से यह अध्ययन वर्तमान सन्दर्भ में बहुत उपयोगी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, एम. डी. एवं अन्य, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, स्टूडेन्ट्स बुक डिपो, जयपुर, 2000।
- लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर. बी. डी. पब्लिकेशन्स्, जयपुर, 2016।
- कृष्णा कुमारी, डी. बी., कॉपरेटिव बैंकिंग फॉर एग्रीकलचरल डवलपमेन्ट, डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998।
- चौधरी, रामलाल, राजस्थान मे दीर्घकालीन सहकारी साख व्यवस्था, राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर, 2004–05।
- माथूर, बी. एल. , सहकारिता, साहित्य भवन, आगरा, 2008।
- आर्थिक प्रशासन रिव्यू, ई.ए.एफ.एम. विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- राजस्थान पत्रिका
- दैनिक भास्कर
- नफा–नुकसान

❍❍❍